

FORM NO. III

फर्द अहकाम


(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

तहसीलदार बैजूपाडा बनाम खैराती

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

मु.न. 469/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.10.2025	<p>यह प्रार्थना पत्र “ग्रामीण सेवा शिविर-2025” के दौरान राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी, पटवार हल्का निहालपुरा ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पटवारी हल्का निहालपुरा के निवेदन पर सुना गया। पटवारी हल्का ने निवेदन किया कि वाके ग्राम अलियापाडा पटवार हल्का निहालपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075-78 में खाता संख्या 77 के खातेदार खैराती पुत्र मूल्या हिस्सा 5/52 जाति मीना सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 5/52 पूर्ण खाता स्टेट बैंक आफ बिकानेर एण्ड जयपुर शाखा बांदीकुई के स्थान पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बांदीकुई दुरुस्त किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। आवेदन पत्र के साथ भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.02.2017 की प्रति पेश की गई। तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट दिनांक 26.09.2025 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप तथा तहसीलदार बैजूपाडा की स्पष्ट अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।</p> <p>आदेश</p> <p>हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम अलियापाडा पटवार हल्का निहालपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075-78 में खाता संख्या 77 के खातेदार खैराती पुत्र मूल्या हिस्सा 5/52 जाति मीना सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 5/52 पूर्ण खाता स्टेट बैंक आफ बिकानेर एण्ड जयपुर शाखा बांदीकुई के स्थान पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बांदीकुई दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बैजूपाडा को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 03.10.2025 को सुनाया गया।</p> <p> (अमित कुमार वर्मा) R.A.S. उपखण्ड अधिकारी मण्डावर दौसा उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>	